सं0– 410 /उन्तीस(2)/06–2(71पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 796/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 17.03.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो के कियान्वयन हेतु रू0 300.00 लाख (रू तीन करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 स0	योजना का नाम	अनु0 लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
	जनपद टिहरी			
1	कोटेश्वर झण्डीधार पे0यो0	970.38	90.00	30.00
2	क्वीलीपालकोट ग्राम समूह फेज–।	1655.60	20.00	30.00
3	सूरजकुण्ड रानीताल ग्राम समूह पे0यो0	1021.33	25.00	30.00
4	रामपुर भण्डार गॉव ग्राम समूह पे0यो0	124.60	20.00	20.00
	जनपद पौड़ी			
5	धूमाकोट तोक समूह पम्पिंग पे0यो0	552.70	100.00	40.00
6	नेताजी आजाद हिन्द फोज स्मारक न्यास विद्यालय पे0यो0	74.30	20.00	20.00
	जनपद अल्मोड़ा			
7	बगवाली पोखर पे0यो0	98.00	25.00	20.00
8	चमडखान पम्पिंग पे0यो0	1030.00	–	50.00
	जनपद बागेश्वर			
9	बोडीधूरा फॉट पम्पिंग पे0यो0	312.17	150.00	20.00
	उधमसिंह नगर			
10	कल्याणपुर पे0यो0	98.74	35.00	20.00
11	हमीरावाला पुनर्गठन पे0यो0	124.74	25.00	20.00
	योगः–			**300.00**

क्रमश..2

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराचंल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी । आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी बैंक में पार्किंग के रूप में न रखी जाय यदि यह सिद्ध पाया जाता है कि स्वीकृत धन आहरित कर बैंक में पार्क की गयी तो दायित्व निर्धारण एवं हानियों की वसूली की जा सकती है।

5. योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों से लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7–कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

8– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

9– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

13– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

कमश..3

14– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदपि व्यय न किया जाय।

15– उपरोक्त के अतिरिक्त इन योजनाओं हेतु निर्गत धनराशि से सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्ते भी यथावत् रहेंगी।

16–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

17.– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–1662/XXVII(2)/ 2007 दिनांक 28 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 410 /उन्तीस(2)/06–2(71पे0)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।/सम्बन्धित जनपद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल/कुमॉयू), उत्तरांचल पेंयजल निगम पौड़ी/ नैनीताल।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन अनुभाग/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
9. स्टाफऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2005–06

आयोजन

नियन्त्रक अधिकारीः–प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगकम
प्रशासनिक विभागः– पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रू0 हज

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराषि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवषैष धनराषि।	अमुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) केन्द्र स
01–जलापूर्ति				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			धनराशि प्रा
107–मल निकासी सेवाये				102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			होनें के का
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				03– ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर 00–			(ख)मद में समुचित
03–गंगा कार्ययोजना द्वितीय चरण				20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता			धनराशि प्राविधानित
20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 50000	–	–	50000(क)	30000(ख)	682353	20000	होनें के कार
योगः– 50000	–	–	50000	30000	682353	20000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
1862–वित्त अनुभाग–2
संख्याः (क) XXVII-(2) /2007
देहरादून : दिनांकः 22 मार्च 2007

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 410 (क)/उन्तीस/06–2–(71पे0)/2006, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव